


छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर



// अधिसूचना //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05.08.19

क्रमांक एफ 10-4/2019/16 :- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) की धारा 21 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. भाग दो में, उपाबंध में, सरल क्रमांक 14-क (1) में, शब्द एवं अंक "58 वर्ष" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द एवं अंक "60 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।
2. भाग दो में, उपाबंध में, सरल क्रमांक 14-क (1) में, शब्द एवं अंक "60 वर्ष" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "62 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।
3. भाग दो में, उपाबंध में, सरल क्रमांक 14-क (1) में, प्रथम परंतुक में, शब्द एवं अंक "58 वर्ष" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "60 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

[Handwritten Signature]
(पी०डी० पुरबिया)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05.08.19

क्रमांक 10-4/2019/16 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2019/16 दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Dir. ESI/DD/AD () /LO/Other

Labour Commissioner

Grand Bill

NOTIFICATIONNava Raipur, Atal Nagar, Date :- 05.08.19

No. F 10-4/2019/16 : In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 21 of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Rules 1963, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 21 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In part II, in the Annexure, in serial number 14-A (1), for the word and figure "58 years" wherever they occur, the word and figure "60 years" shall be substituted.
2. In part II, in the Annexure, in serial number 14-A (1), for the word and figure "60 years", the word and figure "62 years" shall be substituted.
3. In part II, in the Annexure, in serial number 14-A, in first proviso, for the word and figure "58 years", the word and figure "60 years" shall be substituted.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh


(P.D. Purbiya)

Deputy Secretary,

Govt. of C.G., Labour Deptt.


पृष्ठांकन 10-4/2019/16

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05.08.19

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
- ✓ 3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
4. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),

5. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
6. कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
7. समस्त संभागायुक्तछत्तीसगढ़,
8. समस्त कलेक्टर, जिला-..... छत्तीसगढ़,
9. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला कार्यालय छत्तीसगढ़।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औ0 स्वा0 एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़।
12. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छ0ग0 की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. गार्ड फाईल।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग